PHARMACY LAW & ETHICS

D. PHARMA CHAPTER - 1

General Principles of Law & History

PHARMACY INDIA LIVE

LIVE STREAMING

हिन्दी और ENGLISH + Pdf notes दोनों भाषा में

Second Year

D.PHARMA

2 YEAR

Chapter - 1

General Principles of Law & History

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Syllabus According to PCI

S. No.	Topic
1.	**General Principles of Law, & History**

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE

INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE

Jurisprudence is a place of inter assembly for judicial and other pharmacy.

न्यायशास्त्र न्यायिक और अन्य फार्मेसी के लिए अंतर-सभा का स्थान है।

Pharmaceutical jurisprudence is the study of laws regulating the profession of pharmacy in India.

फार्मास्युटिकल न्यायशास्त्र भारत में फार्मेसी के पेशे को विनियमित करने वाले कानूनों का अध्ययन है।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Origin & Nature of Pharmaceutical Legislation

Legislation in India

भारत में विधान

Purpose of Pharmaceutical legislation is to ensure that the patient receives drugs of required quality, tested & evaluated for safety & efficacy for their intended result.

फार्मास्युटिकल कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी को आवश्यक गुणवत्ता की दवाएं प्राप्त हों, उनके इच्छित परिणाम के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए परीक्षण और मूल्यांकन किया गया हो।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Origin of Pharmaceutical units:

1811: Bathgate establishes chemist shop in Calcutta

1811: बाथगेट ने कलकत्ता में केमिस्ट की दुकान की स्थापना की

1821: Smith Stain Street & Co. establishes apothecary shop

1821: स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एंड कंपनी ने औषधालय की दुकान की स्थापना की

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

1901: Acharya Prafulla Chandra Roy starts Bengal Chemicals & Pharmaceutical Works

1901: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स की शुरुआत की

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- 1811: Mr. Bathgate (East India Company) establishes chemist shop in Calcutta. - Commencement of manufacturing: 1910.

1811: मिस्टर बाथगेट (ईस्ट इंडिया कंपनी) ने कलकत्ता में केमिस्ट की दुकान की स्थापना की। - निर्माण की शुरूआत: 1910.

- 1821: Mr. Smith Stain Street & Co. establishes apothecary shop.

1821: मिस्टर स्मिथ स्टेन स्ट्रीट एंड कंपनी ने औषधालय की दुकान की स्थापना की।

- 1901: Acharya Prafulla Chandra Roy starts Bengal Chemicals & Pharmaceutical Works.

1901: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स की शुरुआत की।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- 1903: Prof. J.K. Gujjar starts factory at Parel (Alembic Chemical Works, Baroda).

1903: प्रो. जे.के. गुज्जर ने परेल (एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बड़ौदा) में फैक्ट्री शुरू की

- 11th August 1930: Govt. of India appoints a committee under the chairmanship of Hat. Col. R.N. Chopra to address pharmacy problems.

11 अगस्त 1930: सरकार। भारत सरकार हैट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करती है। कर्नल आर.एन. चोपड़ा फार्मेसी समस्याओं का समाधान करेंगे

- 1931: The committee publishes its first report.

1931: समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की

PHARMACY INDIA

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- After the committee's report, Prof. M.L. Schroff initiates pharmaceutical education at university level in BHU (Banaras Hindu University).

कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने बी.एच.यू. (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) में विश्वविद्यालय स्तर पर फार्मास्युटिकल शिक्षा शुरू की।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- In 1935 Indian Pharmaceutical Association was established.
- In 1939, Prof. M.L. Schroff started the Indian journal of pharmacy.
- In 1940, All India Pharmaceutical congress association was established.
- "Drug Bill" brought by the Govt. in 1940 to control the import, manufacture & sale of Drug.
- The first Drug Technical Advisory Board (DTAB) was initiated in 1941.

PHARMACY INDIA

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- The first Indian pharmacopoeia list was published in 1946 under the chairmanship of R.N. Chopra.
- Pharmacy Act was Published on 1948.
- 1949 Pharmacy Council of India (PCI) was established.
- In 1954 Drugs & Magic Remedies Act was passed.
- In 1955, first edition of Indian Pharmacopoeia (IP) was published.

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

SCOPE & OBJECTIVE

Drug Bill (1940)

ड्रग बिल (1940)

Covers provisions related to drugs, cosmetics, Ayurvedic, Unani & Homeopathic medicines.

औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों, आयुर्वेदिक, आई से संबंधित प्रावधान शामिल हैं यूनानी एवं होम्योपैथिक दवाइयाँ।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Present Drug & Cosmetic Act (Improved version of Drug Act 1940)

वर्तमान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (औषधि अधिनियम 1940 का उन्नत संस्करण)

Regulate import, manufacture, distribution & sale of drugs & cosmetics in India.

भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना।

PHARMACY INDIA

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Pharmacy Act 1948

फार्मेसी अधिनियम 1948

Regulate the profession of Pharmacy in India.

भारत में फार्मेसी के पेशे को विनियमित करें.

Drug & Magic Remedies Act 1954

औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Control certain types of advertisements related to drugs & prohibit certain types of advertisements related to magic remedies

दवाओं से संबंधित कुछ प्रकार के विज्ञापनों को नियंत्रित करें और जादुई उपचारों से संबंधित कुछ प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाएं

Regulate import, manufacture, distribution & sale of drugs & cosmetics in India.

भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Pharmacist is the first person of health care system by playing various roles like:

Academic pharmacist: Focus on teaching, research work & training of pharmacy students.

अकादमिक फार्मासिस्ट: फार्मेसी छात्रों के शिक्षण, अनुसंधान कार्य और प्रशिक्षण पर ध्यान दें।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Industrial Pharmacist: Pharmacist contributes to research & development of drug, manufacturing & testing of drug product, also involves in clinical trials & sales & marketing of drug.

औद्योगिक फार्मासिस्ट: फार्मासिस्ट दवा के अनुसंधान और विकास, दवा उत्पाद के निर्माण और परीक्षण में योगदान देता है, क्लिनिकल परीक्षण और दवा की बिक्री और विपणन में भी शामिल होता है।

Community Pharmacist: Pharmacist works at the front line of health care in cities, towns & villages.

सामुदायिक फार्मासिस्ट: फार्मासिस्ट शहरों, कस्बों और गांवों में स्वास्थ्य देखभाल की अग्रिम पंक्ति में काम करता है।

PHARMACY INDIA

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Hospital Pharmacist: Part of hospital team.

अस्पताल फार्मासिस्ट: अस्पताल टीम का हिस्सा

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

GENERAL PRINCIPLES OF LAW

I. Covenantal Relationship: A pharmacist acknowledges a moral duty in response to the trust given by society. They promise to help patients get the most benefit from their medications, prioritize their well-being, and maintain their trust.

संविदात्मक संबंध: एक फार्मासिस्ट समाज द्वारा दिए गए विश्वास के जवाब में एक नैतिक कर्तव्य स्वीकार करता है। वे मरीजों को उनकी दवाओं से अधिकतम लाभ दिलाने, उनकी भलाई को प्राथमिकता देने और उनका भरोसा बनाए रखने में मदद करने का वादा करते हैं।

II. Patient-Centered Care: Pharmacists prioritize patient well-being by considering both patient needs and health science. They protect patient dignity, provide care with compassion, and maintain confidentiality in a private manner.

रोगी-केंद्रित देखभाल: फार्मासिस्ट रोगी की जरूरतों और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों पर विचार करके रोगी की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। वे रोगी की गरिमा की रक्षा करते हैं, करुणा के साथ देखभाल प्रदान करते हैं, और निजी तरीके से गोपनीयता बनाए रखते हैं।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

III. Respecting Autonomy and Dignity: Pharmacists honor patients' autonomy and dignity by involving them in healthcare decisions, using understandable language, and respecting personal and cultural differences.

स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान: फार्मासिस्ट मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में शामिल करके, समझने योग्य भाषा का उपयोग करके और व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मतभेदों का सम्मान करके उनकी स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करते हैं।

IV. Honesty and Integrity: Pharmacists uphold honesty and integrity, telling the truth and acting with conviction. They avoid discrimination and conditions that compromise professional judgment, always prioritizing patients' best interests.

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा: फार्मासिस्ट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को कायम रखते हैं, सच बोलते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करते हैं। वे भेदभाव और ऐसी स्थितियों से बचते हैं जो पेशेवर निर्णय से समझौता करती हैं, हमेशा मरीजों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

V. Professional Competence: Pharmacists commit to maintaining their knowledge and skills, staying current with new medications, devices, and health information advancements to provide the best care.

व्यावसायिक क्षमता: फार्मासिस्ट अपने ज्ञान और कौशल को बनाए रखने, सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने के लिए नई दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य सूचना प्रगति के साथ अपडेट रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

VI. Respecting Colleagues and Health Professionals: Pharmacists collaborate with colleagues and other healthcare professionals, seeking consultation when necessary and acknowledging differences in beliefs and values.

सहकर्मियों और स्वास्थ्य पेशेवरों का सम्मान करना: फार्मासिस्ट सहकर्मियों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग करते हैं, आवश्यक होने पर परामर्श लेते हैं और मान्यताओं और मूल्यों में अंतर को स्वीकार करते हैं।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

VII. Serving Individual, Community, and Societal Needs: Pharmacists primarily serve individual patients but recognize that their responsibilities may extend to the community and society, acting accordingly in these situations.

व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक आवश्यकताओं की सेवा करना: फार्मासिस्ट मुख्य रूप से व्यक्तिगत रोगियों की सेवा करते हैं, लेकिन यह मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ समुदाय और समाज तक बढ़ सकती हैं, इन स्थितियों के अनुसार कार्य करते हुए।

VIII. Seeking Justice in Resource Distribution: Pharmacists ensure fair and equitable allocation of health resources, balancing the needs of patients and society.

संसाधन वितरण में न्याय की तलाश: फार्मासिस्ट मरीजों और समाज की जरूरतों को संतुलित करते हुए स्वास्थ्य संसाधनों का निष्पक्ष और न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करते हैं।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

HISTORY

- **The pharmaceutical industry traces its roots back to apothecaries and traditional remedies from the middle ages.**

फार्मास्युटिकल उद्योग की जड़ें मध्य युग के औषधालयों और पारंपरिक उपचारों से जुड़ी हैं।

- **The industry as we know it today began to take shape in the second half of the 19th century.**

जिस उद्योग को हम आज जानते हैं, उसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकार लेना शुरू किया।

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

- It resulted from the marriage of rationalism and experimentation, influenced by the scientific and industrial revolutions of the 17th and 18th centuries, respectively.

यह क्रमशः 17वीं और 18वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांतियों से प्रभावित तर्कवाद और प्रयोग के मेल से उत्पन्न हुआ।

- This development aimed to benefit human health through the production and advancement of pharmaceuticals and biotechnology.

इस विकास का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादन और उन्नति के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना है

जुड़िए हमारे साथ Type- DPINDIA और भेज दीजिए 9389516306

Thank You